

1/23

पत्रावली पैत्रा हुई, वकील पार्थी उपास्थित, अप्राधीगठा के सम्मन के बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिले शा० प० किये गये। अप्राधीगठा को कितनी बार रुक-रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपास्थित नही हुए इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील पार्थी का पार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निठयि पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली केंसल शुमार होकर नंबर से क्रम हो।


उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा



राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

लिख
इस
रीति
ए

अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

संख्या- 258/22 प्रा0पत्र

श्री १० श्री गानू मल्लई निवासी-सुरास तहसील माण्डल

-प्रार्थी

वनाम

श्री १० श्री लंदराम खाती निवासी सुरास तहसील-माण्डल [कारा]
(प्रमाणित प्रा० पत्र संलग्न)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक :- 24-01-23

::आदेश::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन
ग्राम सुरास पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डल में उसके
खाते की आराजी नं. 621, 636, 638 कुल कित्ता 0.3 रकबा 0.6196
है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये
संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की
आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16-12-22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढ़ी कराने का
वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते
की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम सुरास पटवार
सुरास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 621, 636, 638
0.3 रकबा 0.6196 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी
हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख
मे.का. को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने
की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार
गढ़ी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा

तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी